



जिला

गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

साधारण अंक	विक्रम संवत् 2065	4(शु0)पौष 1930 (शा0)
संख्या - 01/2009		जमशेदपुर, शुक्रवार : 02.01.2009
विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी,सं0 - 1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो जमशेदपुर द्वारा निकाले गये जिला भू-अर्जन विभाग का अधिघोषणा।		
विषय सूची		पृष्ठ संख्या
1. विशेष भू-अर्जन विभाग से संबन्धित अधिघोषणा।		01 - 02

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
भू-अर्जन शाखा
अधिघोषणा

संख्या892...../

दिनांक 6/12/08

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - देवली, परगना , थाना - घाटशिला, थाना नं0 - 69, जिला पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात ओ0आर0-40 लघु नहर निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी, अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम - देवली, थाना नं0- 69 के भीतर भूमि का 87 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 10.80 एकड़ है और जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्नप्रकार है :-

अर्जनाधीन खेसरों की अंश खेसरा संख्या - 602,608,607,606,610,612,613,621, 617,642,646,647,583,668,669,670,673,417,414,412,410,408,674,406,405,404, 402,684,400,399,398,397,396,393,391,390,388,698,287,383,381,380,376,352,353, 419,357,369,358,359,363,362,361,293,290,61,62,240,66,67,68,238,239,236,235, 234,71,233,102,101,98,97,95,108,107,170,168,134,169,133 एवं 141 तथा पूर्ण खेसरा संख्या - 611,618,409,394,99 एवं 126

लगातार-2

(2)

चौहादी

- उत्तर :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम - पोखरिया, थाना नं० - 70
- पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम - सालवनी, थाना नं० - 126
- दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या - 608,607,610,611,621,642,646,647,668,670,673,
674,409,684,485,352,353,419, 357,358,359,394,293,290,62,240,238,237
236,235,234,233,99,98,97,108,107,117,168,169,134,126,133,143,141 एवं
158
- पश्चिम :- 108,109,95,98,101,102,233,71,236,68,67,66,63,61,361,362,66,358,369,419,
376,377,381,383,287,388,390,393,396,397,398,399,400,402,404,405,406,
408,410,412,413,414,417,668,647,646,617,613,612,606 एवं 601

नोट :- वनभूमि का खेसरा संख्या - 143 का रकबा- 1.05 एकड़ तथा अनावार
झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या- 620,485,260,377,63,239,96, एवं 158
का रकबा - 4.80 एकड़ भू-अर्जन से मुक्त किया गया है।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर,
स्लेट या अन्य खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें कार्य के लिए भूमि अर्जित की जारी
है। उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले
लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम
18,1885 की धारा - 3 के खण्ड III के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के
लिए जारी जाती है जिनका इससे संबंध हों

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1, सुवर्णरेखा नहर
परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर

ह०/-

अपर उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर